पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 06/2025
दिनांक 01.01.2025

जोन उत्तरी / थाना गुडम्बा

- **02 शातिर वाहन चोर / अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**
- **चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल बरामद ।**

संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 01.01.2025 को थाना गुडम्बा के उ0नि0 श्री जिलाजीत यादव मय हमराही पुलिस बल के स्कार्पियो क्लब के आगे पर चेकिंग कर रहें थे चेकिंग के दौरान एक मोटर साइकल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखायी दिए संदिग्धता प्रतीत होने पर मोटर साइकिल को रोका गया जिसके आगे नम्बर प्लेट टूटा हुआ था तथा मोटर साइकिल के पीछे किसी अन्य HF डिलक्स का नम्बर प्लेट लगाकर उक्त व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था। दोनों व्यक्तियों से मोटर साइकिल होण्डा स्प्लेण्डर के कागजात तलब किये गये तो मोटर साइकिल के प्रपत्र दिखाने से कासिर रहा।

जिनसे नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम अरूण कुमार सिंह पुत्र चन्द्र किशोर सिंह निवासी राधे कृष्णा लान के सामने साईं हास्पिटल के पास गौराबाग थाना गुडम्बा लखनऊ मूल पता ग्राम मनियारा थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर बताया तथा दूसरे ने अपना नाम पवन कुमार पुत्र स्व0 शंकर सिंह निवासी ग्राम जेठवासी थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी बताया तथा मोटर साइकिल के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि उक्त मोटरसाइकिल वे लोग पिछले वर्ष जनपद बाराबंकी से चोरी किये थे तथा पकड़े जाने के डर से इसका नम्बर प्लेट बदलकर प्रयोग कर रहें थे।

जिन्हे हिरासत पुलिस में लेकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 317(2)/338/336(3)/340(2) बी.एन.एस. का अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1 अरूण कुमार सिंह पुत्र चन्द्र किशोर सिंह निवासी राधे कृष्णा लान के सामने साईं हास्पिटल के पास गौराबाग थाना गुडम्बा लखनऊ मूल पता ग्राम मनियारा थाना रामपुर मथुरा जिला सीतापुर उम्र 19 वर्ष (बेरोजगार है) ।

2. पवन कुमार पुत्र स्व0 शंकर सिंह निवासी ग्राम जेठवासी थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी उम्र 25 वर्ष (बेरोजगार है) ।

बरामदगी -

- हीरो स्प्लेण्डर प्रो चेचिस नम्बर MBLHA10A3EHA79794 कूटरचित नम्बर प्लेट UP34AR9630, मोटर साइकिल का वास्तविक नम्बर UP41 X 1426

आपराधिक इतिहास अरूण कुमार सिंह

1. मु0अ0सं0 01/2025 धारा 317(2)/338/336(3)/340(2) बी.एन.एस.थाना गुडम्बा लखनऊ
2. मु0अ0सं0- 409/22 धारा 379/411 भादवि थाना गुडम्बा लखनऊ

आपराधिक इतिहास पवन कुमार

1. मु0अ0सं0 01/2025 धारा 317(2)/338/336(3)/340(2) बी.एन.एस.थाना गुडम्बा लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

01. उ0नि0 श्री जिलाजीत यादव थाना गुडम्बा लखनऊ
02. उ0नि0 श्री अतीश कुमार सिंह
03. का0 धारा सिंह
04. का0 अनिल कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 07/2025
दिनांक- 01.01.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना- चौक

- **गाली गलौज व मारपीट करते हुए कान काटकर अलग कर देना व जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.12.2024 को वादी डॉ0 हमीदुल्लाह पुत्र स्व0 इम्तियाज अहमद निवासी कुरैशी अस्पताल मौज्जम नगर थाना सआदतगंज जनपद लखनऊ द्वारा 31.12.2024 को वादी की कार व विपक्षी की साइकिल में मामूली सी टक्कर होने पर हुए विवाद में विपक्षी द्वारा वादी के पुत्र खतीबुल्लाह के साथ गाली गलौज व मारपीट करते हुए कान काटकर अलग कर देना व जान से मारने की धमकी आदि देने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया।

इस सूचना पर थाना चौक लखनऊ में मु0अ0सं0 269/24 धारा 118/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 31.12.2024 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केन्द्र के सामने थाना चौक लखनऊ से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. रिंकू चौरसिया पुत्र रामस्वरुप चौरसिया उम्र करीब 21 वर्ष नि0मूल पता सहले नगर नौबस्ता थाना माल लखनऊ हाल पता राजा बिहार कालौनी बालागंज नियर धोबिया बाबा मंदिर थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ

अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 - 269/24 धारा 118/352/351(2) बीएनएस थाना चौक लखनऊ।

गिरफ्तार कर्ता टीम का विवरण-

1.उ0नि0 कुलदीप कुशवाहा चौकी प्रभारी रूमीगेट थाना चौक लखनऊ

2.उ0नि0 अंकित मौर्या थाना चौक लखनऊ

3.हे0का0 अब्दुल क्यूम थाना चौक लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.04/2025
दिनांक- 01.01.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- चिनहट

- **नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी वाछिंत अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरणः-

थाना स्थानीय पर दिनांक 19.11.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर विपक्षी द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री उम्र करीब 12 वर्ष के साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0-543/2024 धारा-64(2) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट व तरमीम धारा 70(2) बीएनएस 5G/6 पास्को एक्ट थाना चिनहट लखनऊ बनाम-01. रंजीत पासवान पुत्र मंटू पासवान निवासी- ग्राम सपहाँ थाना तुर्क पट्टी जनपद कुशीनगर उ0प्र0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्री भरत कुमार पाठक द्वारा सम्पादित की जा रही है।

अभियुक्त उपरोक्त अपनी गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस को लगातार गुमराह कर अपने पिता के मामा रमाशंकर माझी के यहां छिपकर रह रहा था जिसको दिनांक 31.12.2024 की शाम को थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा रमाशंकर माझी का मकान सिलहोडी थाना मडौरा जनपद सारण कुशीनगर बिहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.रंजीत पासवान पुत्र मंटू पासवान निवासी- ग्राम सपहाँ थाना तुर्क पट्टी जनपद कुशीनगर उ0प्र0

अभियुक्त रंजीत पासवान का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0-543/2024 धारा- 70(2) बीएनएस 5G/6 पास्को एक्ट थाना चिनहट जनपद लखनऊ अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

01. उ0नि0 मनोज कुमार कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ।
02. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार कोतवाली चिनहट लखनऊ।
03. उ0नि0 श्री अजय कुमार कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ।
04. उ0नि0 श्री दिलीप कुमार कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ।
05. का0 शिवानन्द खरवार कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री बेंचू सिंह यादव थाना अमीनाबाद लखनऊ

2- उ0नि0 श्री आशीष सिंह थाना अमीनाबाद लखनऊ

3- प्रशि0उ0नि0 अजीत राय थाना अमीनाबाद लखनऊ

4- महिला का0 पूनम गोंड थाना अमीनाबाद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.05/2025
दिनांक- 01.01.2025

जोन- मध्य/ थाना- अमीनाबाद

- **चोरी करने वाली 02 शातिर महिला अभियुक्तागण को गिरफ्तार किया गया ।**
- **चोरी का एक अदद हार (पीली धातु) बरामद ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.09.2024 को थाना अमीनाबाद पर वादिनी शहनाज बानो पुत्री मो0 जुबैर पता 157/27 गौस नगर रकाबगंज थाना वजीरगंज लखनऊ द्वारा कुमार टेड्र्स गणेशगंज अमीनाबाद लखनऊ की दुकान से 02 अज्ञात महिला द्वारा 2 तोले सोने का हार चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 66/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री बेंचू सिंह यादव थाना अमीनाबाद के द्वारा की जा रही है । प्रभारी निरीक्षक थाना अमीनाबाद के द्वारा उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु उ0नि0 श्री बेचू सिंह यादव को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में उ0नि0 श्री बेचू सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल के सहयोग से मुखबिर खास की सूचना पर अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आयी अभियुक्तागण 1. शबाना बानो पत्नी स्व0 कप्तान निवासी कडिया सासी थाना बोडा जनपद राजगढ मध्य प्रदेश उम्र करीब 50 वर्ष 2. सोनिया पुत्री कप्तान निवासी कडिया सासी थाना बोडा जनपद राजगढ मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष को आज दिनांक 01.01.2025 को चोरी गये सामान एक अदद हार (पीली धातु) वजन 18.600 ग्राम के साथ झंडे वाला पार्क अमीनाबाद से गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुये नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तागण का विवरण:-

1. शबाना बानो पत्नी स्व0 कप्तान निवासी कडिया सासी थाना बोडा जनपद राजगढ मध्य प्रदेश उम्र करीब 50 वर्ष
2. सोनिया पुत्री कप्तान निवासी कडिया सासी थाना बोडा जनपद राजगढ मध्य प्रदेश उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अदद हार (पीली धातु) वजन 18.600 ग्राम

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता शबाना बानों-

1. मु0अ0सं0 38/18 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवालीनगर जनपद अलीगढ़
2. मु0अ0सं0 134/23 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना बछरांवा जनपद रायबरेली
3. मु0अ0सं0 652/19 धारा 380/511 भादवि थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 18/24 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 586/20 धारा 379/511 भादवि थाना कोतवाली जनपद सीतापुर